पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार मामला सं. 1446

==========

1. रामविचार राय, पिता- स्वर्गीय बलिराविराम राय,
2. राम शोकिल राय, पिता- स्वर्गीय जीमदार राय
3. रविन्द्र राय, पिता- स्वर्गीय वृज नंदन राय
4. लखन राय, पिता- स्वर्गीय बलिराम राय
5. बेयास राय, स्वर्गीय- बलिराम राय

सभी निवासी- मोहल्ला- रामजी चक, चैनपुर कोठी, दीघा, थाना- दीघा, जिला- पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओ

बनाम

1. श्री राज नाथ दास, पिता- स्वर्गीय सत्यनारायण राम।
2. शिवरातो देवी, पति- सत्य नारायण राय।
3. श्री बिंदा राम, पिता- स्वर्गीय बुझावन राम।
4. श्री चंद्रिका राम, पिता- स्वर्गीय बुझावन राम।
5. श्री अजय राम, पिता- स्वर्गीय राम ईश्वर राम

सभी निवासी- मोहल्ला- चैनपुर कोठी, दीघा, बाटा जूता कारखाने के पास, थाना- दीघा, पोस्ट आफिस- बाटागंज, जिला- पटना।

6. लक्ष्मी देवी, पति- श्री बिन्देशरी राय, निवासी- मोहल्ला- चैनपुर कोठी, रामजिचक, दीघा, थाना- दीघा, पोस्ट आफिस- बाटागंज, जिला- पटना।

.....प्रतिवादी/ओ

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता

श्री कुमार गौरव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री रजनीकांत झा, अधिवक्ता

==========

केस नोट: *यह मामला* ***सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10(2)*** *के तहत अभियोग मामलों में न्यायालयों के व्यापक विवेक को पुष्ट करता है। यह स्थापित करता है कि विवादित संपत्ति पर सीधे दावे वाले पक्ष को आगे मुकदमेबाजी को रोकने के लिए अभियोग में शामिल किया जाना चाहिए। निर्णय अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के सीमित दायरे की भी पुष्टि करता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और पूर्ण न्यायनिर्णयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।*

हेडनोट

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 1 नियम 10(2) *- पक्षों को जोड़ना - न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी पक्ष को जोड़ने या हटाने का विवेकाधिकार है, यदि मामले के पूर्ण और प्रभावी निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। (पैरा-8) - मुकदमे की संपत्ति में प्रत्यक्ष हित रखने वाले पक्ष को मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए पक्ष बनाया जा सकता है। (पैरा-9) -* ***मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स (पी) लिमिटेड, (2010) 7 एससीसी 417***

सिविल मुकदमों में आवश्यक बनाम उचित पक्ष - एक आवश्यक पक्ष वह होता है जिसके बिना कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती, जबकि एक उचित पक्ष वह होता है जिसकी उपस्थिति सभी विवादों के समाधान में सहायक होती है। (पैरा-10) - पहले से रिकॉर्ड में दर्ज विक्रेता के माध्यम से स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति को अभियोग से वंचित

नहीं किया जा सकता है, यदि उनकी उपस्थिति स्वामित्व दावों को निपटाने में सहायक होती है। (पैरा-11)

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक विवेकाधिकार *-* ***अनुच्छेद 227*** *के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षणात्मक है और इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि हो। (पैरा-12) - अभियोग चलाने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अवैधता या प्रक्रियागत अनियमितता से ग्रस्त न हो। (पैरा-13) -* ***(संदर्भित - सुमतिबाई बनाम पारस फाइनेंस कंपनी पंजीकृत भागीदारी फर्म, (2007) 10 एससीसी 82)***

निर्णय*- दिनांक 06.05.2019 को पारित विवादित आदेश, जिसमें हस्तक्षेपकर्ता को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई थी, की पुष्टि की गई, क्योंकि हस्तक्षेपकर्ता का मुकदमे की संपत्ति में प्रत्यक्ष हित था। (पैरा-14) - अभियोग को चुनौती देने वाली याचिका को इस स्पष्टीकरण के साथ खारिज कर दिया गया कि इसमें की गई टिप्पणियों से मुकदमे के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। (पैरा-15)*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 07-03-2025

यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान उप न्यायाधीश- XII, पटना द्वारा दिनांक 06.05.2019 को टाइटल सूट संख्या

136/2017 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान उप न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत हस्तक्षेपकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 17.05.2018 के हस्तक्षेपकर्ता आवेदन को अनुमति दी थी।

2. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता टाइटल सूट संख्या 136/2017 के वादी हैं, जो प्रतिवादियों/प्रतिवादियों के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें अन्य राहतों के अलावा मुकदमे की भूमि पर प्रतिवादियों के शीर्षक और गैर-शीर्षक की घोषणा की गई है। मुकदमे की संपत्ति खाता संख्या 1616 के तहत एक प्लॉट नंबर 11 है, जिसका क्षेत्रफल 4.28 एकड़ है, जो मौजा-सैदपुर दीघा, थाना-दीघा, जिला-पटना में स्थित है, जो राजा चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह (जिसे आगे 'स्वर्गीय सीपीएन सिंह' के रूप में उल्लेख किया गया है) का था, जिनकी मृत्यु 28.09.1941 को हुई थी और वे अपने पीछे चार बेटियों जनक किशोरी देवी, कृष्णा किशोरी देवी, राज किशोरी देवी और गिरिजा किशोरी देवी को छोड़ गए थे और एक बेटी जनक किशोर देवी की निःसंतान मृत्यु हो गई थी। विवादित प्लॉट संख्या 11 अन्य संपत्तियों के साथ स्वर्गीय सीपीएन सिंह की तीन बेटियों के बीच विभाजन वाद संख्या 75/1963 में 1/3 हिस्से के हिसाब से विभाजित किया गया था। कृष्णा किशोरी देवी अपने दो बेटों स्वर्गीय जगत किशोर प्रसाद नारायण सिंह और श्री राम किशोर प्रसाद नारायण सिंह को पीछे छोड़कर मर गईं। प्लॉट संख्या 11 का क्षेत्रफल 6 *बीघा* और 16 *कट्ठा* (4.28 एकड़) था और उत्तरी तरफ 2 *बीघा* 6 *कट्ठा* जमीन स्वर्गीय गिरिजा किशोरी देवी के हिस्से में थी, जो अपने बेटे बीरेंद्र धारी सिंह को पीछे छोड़कर मर गईं, जो अपने बेटे कौशल किशोर कुमार सिंह को भी पीछे छोड़कर मर गए, जिनका विवाह रमा देवी के साथ हुआ था। गिरिजा देवी ने विवादित जमीन सहित अपनी 1/3 जमीन का हिस्सा 01.09.1992 को पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से रमा देवी के पक्ष में बेच दिया और उन्हें कब्जा दे दिया। बाद में, रमा देवी ने 14.11.1996 को दो पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किए, एक

पुनीता कुमारी के पक्ष में 10 *कट्ठा* भूमि के संबंध में और दूसरा प्रकाश कुमार के पक्ष में 10 *कट्ठा* के लिए और उन्हें कब्जा दे दिया। वादी प्रकाश कुमार से भूमि के कुछ हिस्से के खरीदार हैं, जिन्होंने विवादित भूमि पर अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए शीर्षक वाद संख्या 44/2002 दायर किया था और वाद का आदेश हुआ था और वादी के विक्रेता का शीर्षक दिनांक 16.03.2005 के निर्णय के अनुसार घोषित किया गया था। वादी ने शीर्षक वाद संख्या 44/2002 के आदेश पारित होने के बाद 5 *कट्ठा* और 12 *धुर* भूमि खरीदी। हालांकि, जब वादी ने चारदीवारी का निर्माण शुरू किया, तो प्रतिवादियों ने अन्य व्यक्तियों के साथ इसका प्रतिरोध किया। इसके बाद, वादी ने वर्तमान वाद दायर किया। हालांकि, प्रतिवादीगण मुकदमे में उपस्थित नहीं हुए और मुकदमा *एकपक्षीय* रूप से आगे बढ़ा। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, लक्ष्मी देवी ने 17.05.2018 को संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उनके पक्ष प्रतिवादी को मुकदमे में इस आधार पर जोड़ने की प्रार्थना की गई कि उन्होंने मुकदमे की जमीन सही मालिक से खरीदी थी। हस्तक्षेपकर्ता/प्रतिवादी द्वितीय सेट के अनुसार, प्लॉट नंबर 11 की पूरी जमीन राज किशोरी देवी को आवंटित की गई है, जो कि टाइटल सूट नंबर 75/1963 में पारित निर्णय से स्पष्ट है। टाइटल सूट नंबर 75/1963 के लंबित रहने के दौरान, राज किशोरी देवी ने प्लॉट नंबर 11 की पूरी संपत्ति अन्य सह-शेयरधारकों की सहमति से पहले ही बेच दी थी और इस कारण से, प्लॉट नंबर 11 को राज किशोरी देवी या उसके क्रेता के हिस्से और तख्त में आवंटित करने की अनुमति दी गई थी। वादीगण ने 05.10.2018 को उक्त हस्तक्षेपकर्ता याचिका पर प्रतिउत्तर दाखिल किया तथा इस आधार पर याचिका खारिज करने की प्रार्थना की कि हस्तक्षेपकर्ता-लक्ष्मी देवी द्वारा संपत्ति ऐसे व्यक्ति से खरीदी गई है जिसका संपत्ति पर कोई अधिकार या हक नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका को दिनांक 06.05.2019 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया तथा उक्त आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौतीाधीन है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश इस तथ्य पर विचार किए बिना पारित किया गया है कि हस्तक्षेपकर्ता वर्तमान मामले में न तो आवश्यक है और न ही उचित पक्ष है। यदि हस्तक्षेपकर्ता का विक्रेता पहले से ही रिकॉर्ड पर है, तो हस्तक्षेपकर्ता को पार्टी प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि हस्तक्षेपकर्ता ने दावा किया है कि उसने प्रतिवादी संख्या से मुकदमे की जमीन खरीदी है। 3 और 4 के साथ पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 04.08.2014 के माध्यम से समझौता किया, लेकिन उसने जानबूझकर और जानबूझकर इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उसके विक्रेता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पहले ही विद्वान उप न्यायाधीश-1, पटना की अदालत में अपने स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए शीर्षक वाद संख्या 448/2011 दायर किया है, जैसा कि वाद की अनुसूचियों में उल्लेख किया गया है और साथ ही यह भी घोषणा की है कि शीर्षक वाद संख्या 44/2002 में दिनांक 14.11.1996 के उपरोक्त बिक्री विलेख के आधार पर पारित दिनांक 16.03.2005 का निर्णय और डिक्री अवैध था। हस्तक्षेपकर्ता के विक्रेता द्वारा अन्य राहत भी मांगी गई है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि शीर्षक वाद संख्या 448/2011 को गैर-अभियोजन के लिए दिनांक 18.04.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और इसे आज तक बहाल नहीं किया गया है। 2011 के टाइटल सूट नंबर 448 को खारिज किए जाने के साथ ही वादी के विक्रेता के अधिकार, टाइटल और कब्जे की पुष्टि हो गई है, जबकि हस्तक्षेपकर्ता के विक्रेता के अधिकार और टाइटल पर फैसला नहीं हुआ है। इसलिए, हस्तक्षेपकर्ता का दावा ऐसे व्यक्ति का है, जिसके पास सूट की जमीन पर कोई अधिकार और टाइटल नहीं है। लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता/प्रतिवादी को दूसरे सेट में पक्षकार बनाते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश संधारणीय नहीं है और इसे रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्क का प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है तथा इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों से पता चलता है कि हस्तक्षेपकर्ता/प्रतिवादी द्वितीय समूह आवश्यक पक्ष है। स्वर्गीय सीपीएन सिंह की वंशावली को स्वीकार करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि स्वर्गीय सीपीएन सिंह की तीन पत्नियाँ थीं तथा पहली पत्नी से उनकी एक पुत्री जनक किशोरी देवी तथा दूसरी पत्नी से उनकी तीन पुत्रियाँ राज किशोरी देवी, कृष्णा किशोरी देवी तथा गिरिजा किशोरी देवी थीं तथा तीसरी पत्नी से उनका कोई संतान नहीं थी। तीसरी पत्नी तथा जनक किशोरी देवी दोनों की ही मृत्यु निःसंतान हो गई। इस प्रकार, दूसरी पत्नी की तीन पुत्रियाँ स्वर्गीय सीपीएन सिंह की संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी बन गईं। इसके बाद, स्वर्गीय सीपीएन सिंह की पुत्रियों में से एक राज किशोरी देवी ने स्वर्गीय सीपीएन सिंह द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के बंटवारे के लिए अपनी दो बहनों और अन्य के खिलाफ टाइटल पार्टीशन सूट संख्या 75/1963 दायर किया। उक्त बंटवारे के मुकदमे को पटना के विद्वान अपर उप न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत द्वारा दिनांक 24.07.1984 को दिए गए फैसले और डिक्री के माध्यम से तय किया गया, जिसके तहत स्वर्गीय सीपीएन सिंह की प्रत्येक पुत्री को 1/3 हिस्सा दिया जाना तय किया गया। राज किशोरी देवी ने टाइटल पार्टीशन सूट संख्या 75/1963 के लंबित रहने के दौरान प्लॉट संख्या 11 के पूरे क्षेत्रफल 4.28 एकड़ को पांच पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से पहले ही बेच दिया था। राज किशोरी देवी से सीएस प्लॉट संख्या 11 के दो क्रेता उक्त मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 4 और 5 थे। लेकिन शेष तीन क्रेताओं को उक्त मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रतिवादियों ने उक्त मुकदमे में दलील दी कि राज किशोरी देवी ने 18.06.1975 की पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत प्रतिवादी संख्या 5 को 2 बीघा जमीन बेची और उसे कब्जा दिलाया। 18.06.1975 की एक अन्य बिक्री विलेख के तहत राज किशोरी देवी

ने सीएस प्लॉट संख्या 11 का 2 *बीघा* क्षेत्र नलिनी सिंह नामक एक महिला को बेचा, जो टाइटल विभाजन वाद संख्या 75/1963 के प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी थी और उसे भी कब्जा दिलाया गया। तीसरे बिक्री विलेख के तहत टाइटल विभाजन वाद संख्या 75/1963 की वादी ने प्लॉट संख्या 211 का 2 *बीघा* क्षेत्र निरिजा गुलेरी नामक एक महिला को बेचा और उसे भी कब्जा दिलाया गया। राज किशोरी देवी ने अन्य दो पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से प्लाट संख्या 11 के शेष क्षेत्र को क्रमशः रघुराज सिंह (क्षेत्रफल 15 *कट्ठा*) और हाकिम हाफिज मोहम्मद अफ्फान (क्षेत्रफल 3 *कट्ठा*) को बेच दिया और उन्हें उनके संबंधित खरीदे गए क्षेत्र पर कब्जा भी दिला दिया। इस प्रकार, शीर्षक विभाजन वाद संख्या 75/1963 की वादी, राज किशोरी देवी ने पांच अलग-अलग पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से सीएस प्लाट संख्या 11 की संपूर्ण 4.28 एकड़ भूमि पांच व्यक्तियों को बेच दी और क्रेताओं को कब्जा दिला दिया। शीर्षक विभाजन वाद संख्या 75/1963 में प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने दलील दी कि सीएस प्लाट संख्या 11 का संपूर्ण क्षेत्र जो क्रेताओं के कब्जे में था, राज किशोरी देवी के हिस्से में आवंटित किया जाना चाहिए ताकि उनकी संबंधित खरीद और कब्जा सही और वैध बना रहे। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 की इस दलील का किसी भी पक्ष ने विरोध नहीं किया तथा विद्वान उप न्यायाधीश ने दिनांक 24.07.1984 के अपने निर्णय में आदेश दिया कि प्रतिवादियों द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियां तथा जिनकी सूची लिखित बयान में दी गई है, उन्हें आवंटित किया जाए ताकि प्रतिवादियों का दावा पराजित न हो। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सीएस प्लॉट संख्या 11 के आंशिक क्षेत्र के क्रेता रघुराज सिंह ने सीएस प्लॉट संख्या 11 में से 2 कट्ठा 1 धुर तथा 8 धुरकी क्षेत्र स्वर्गीय बुझावन राम के पुत्र बिंदा राम एवं चंद्रिका राम को बेच दिया, जिन्होंने अपना कब्जा जारी रखा तथा बिहार राज्य को किराया देना जारी रखा। उक्त बिंदा राम एवं चंद्रिका राम ने खरीदी गई जमीन पर अपना मकान बना लिया तथा उस पर चारदीवारी बना ली। तत्पश्चात, उन्होंने अपनी खरीदी गई जमीन को चारदीवारी बनाकर प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में बेच दिया। 6 के साथ पंजीकृत

बिक्री विलेख दिनांक 04.08.2014 को समझौता किया तथा प्रतिवादी को कब्जा दिलवाया। प्रतिवादी ने अपनी खरीदी हुई जमीन पर निर्माण कार्य किया है तथा ट्यूबवेल भी लगाया है तथा बिजली कनेक्शन भी लिया है तथा अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रही है। प्रतिवादी दानापुर नगर पालिका को होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर रही है। बिजली कंपनी की रसीदें तथा होल्डिंग/संपत्ति कर से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 6 के पास उक्त मकान का वास्तविक तथा अनन्य कब्जा है, जिसे मुकदमा दायर करने से पहले खरीदा गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि ऊपर वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न तो वादीगण और न ही उनके विक्रेताओं ने सी.एस. प्लॉट संख्या 11 की भूमि के किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार, शीर्षक और हित या कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार, हस्तक्षेपकर्ता/प्रतिवादी संख्या 6 का शीर्षक वाद संख्या 136/2017 के परिणाम में प्रत्यक्ष हित है और विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उसे वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया है। इसलिए, आरोपित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुति पर गहन विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. वर्तमान लिस में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 6 को वादी/याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर शीर्षक मुकदमे में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में सही ढंग से शामिल किया गया है।

7. संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

> *"10(2). **न्यायालय पक्षकारों को हटा सकता है या जोड़ सकता है** – न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना, तथा ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हों, आदेश दे सकता है कि अनुचित रूप से सम्मिलित किसी भी पक्षकार का*

नाम, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, हटा दिया जाए, तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसे सम्मिलित किया जाना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, या जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में सम्मिलित सभी प्रश्नों पर प्रभावी रूप से तथा पूर्ण रूप से निर्णय करने तथा निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, जोड़ा जाए। "

8. उपर्युक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी पक्ष को जोड़ या हटा सकता है, यदि उसे लगता है कि ऐसे पक्ष की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है, ताकि न्यायालय प्रभावी रूप से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर निर्णय ले सके और उनका निपटारा कर सके।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2010) 7 एससीसी 417** में रिपोर्ट किये गए **मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स (पी) लिमिटेड** के मामले में कहा है कि आवश्यक पक्ष वह व्यक्ति है जिसे पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। यदि आवश्यक पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो मुकदमा स्वयं खारिज होने योग्य है। दूसरी ओर, उचित पक्ष वह पक्ष है जो आवश्यक पक्ष न होते हुए भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में विवादित सभी मामलों पर पूरी तरह से, प्रभावी रूप से और पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, हालांकि उसे ऐसा व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है जो डिक्री के पक्ष में या उसके विरुद्ध हो। आगे यह भी माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति उचित या आवश्यक पक्ष नहीं पाया जाता है, तो न्यायालय के पास वादी की इच्छा के विरुद्ध उसे पक्षकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा यह भी माना गया है कि आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. किसी गैर-पक्षकार को पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने के अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि यह कार्यवाही के

किसी भी चरण में पक्षकारों को हटाने या जोड़ने के न्यायालय के न्यायिक विवेक के बारे में है।

10. वर्तमान मामले में, दावे वाली संपत्ति पर प्रतिद्वंद्वी दावे हैं। पक्षों के विद्वान वकीलों के प्रस्तुतीकरण में ऊपर वर्णित तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि संपत्ति स्वर्गीय सीपीएन सिंह की थी जो उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को मिली। वादी/याचिकाकर्ता ने शीर्षक वाद संख्या 75/1963 के फैसले पर कहीं भी विवाद नहीं किया है। वादी का पूरा दावा इस तथ्य पर आधारित है कि सीएस प्लॉट संख्या 11 को तीन बहनों राज किशोरी देवी, कृष्णा किशोरी देवी और गिरिजा किशोरी देवी के बीच विभाजित किया गया था और वादी के विक्रेता दावा करते हैं कि उन्होंने जमीन प्रकाश कुमार से खरीदी थी, जिन्होंने पहले इसे रमा देवी, कौशल किशोर कुमार सिंह की पत्नी से खरीदा था, जो गिरिजा किशोरी देवी के पोते थे। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 जो प्रतिवादी संख्या के विक्रेता हैं। 6 ने दावा किया है कि उन्होंने राज किशोरी देवी के विक्रेता रघुराज सिंह से जमीन खरीदी है और इस प्रकार दावा किया है कि पूरा प्लॉट नंबर 11 राज किशोरी देवी के हिस्से में आवंटित किया गया था। वादी/याचिकाकर्ताओं ने शीर्षक विभाजन वाद संख्या 75/1963 के माध्यम से किए जा रहे विभाजन पर विवाद नहीं किया है। दिनांक 24.07.1984 के निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा वादी से खरीदी गई संपत्तियां वादी को आवंटित करने का आदेश दिया गया था ताकि प्रतिवादियों का दावा पराजित न हो। यह भी आदेश दिया गया कि यदि ये प्रतिवादी आवंटन कार्यवाही में भाग लेते हैं, तो संपत्तियां वादी की आपसी सहमति और समझौते से इन प्रतिवादियों के हिस्से में भी आवंटित की जा सकती हैं। इससे प्रतिवादी के इस दावे को बल मिलता है कि उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ति उन व्यक्तियों से है, जिनका उस पर वैध दावा हो सकता है।

11. अभियोग पर वादी की एक और आपत्ति इस आधार पर है कि उनके विक्रेताओं ने उक्त संपत्तियों के संबंध मेंअभियोग के प्रति वादीगण की एक और आपत्ति इस आधार पर है

कि उनके विक्रेताओं ने उक्त संपत्तियों के संबंध में टाइटल सूट संख्या 44/2002 दायर किया था और यह उनके विक्रेता के पक्ष में तय किया गया था। आगे की आपत्ति इस आधार पर है कि प्रतिवादी के विक्रेता ने टाइटल सूट संख्या 448/2011 दायर किया था जिसे लगातार तारीखों पर वादीगण की गैर-हाजिरी और साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण खारिज कर दिया गया था। इन दो मुकदमों की कार्यवाही के आधार पर, वादीगण दावा करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पास प्रतिवादी संख्या 6 को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार या शीर्षक नहीं है और इसलिए, उनका अभियोग गलत था। अब, शीर्षक वाद संख्या 44/2002 के निर्णय का अवलोकन करने से पता चलता है कि यह संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत एक निर्णय था और वादी ने कब्जे की पुष्टि या कब्जे की वसूली की कोई राहत मांगे बिना वाद की अनुसूची । में वाद संपत्ति पर अपने शीर्षक की घोषणा के लिए वाद दायर किया। निर्णय का आगे अवलोकन करने से कुछ दिलचस्प तथ्य भी सामने आते हैं। शीर्षक वाद संख्या 75/1963 का निर्णय शायद दायर या प्रदर्शित नहीं किया गया था और प्रदर्शित एकमात्र दस्तावेज 14.11.1996 की बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति थी जिसे शीर्षक वाद संख्या 44/2002 के प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया था। इस निर्णय के आधार पर, वादी अपने शीर्षक का दावा कर रहे हैं और प्रतिवादी संख्या 75/1963 के पक्षकार बनने पर आपत्ति कर रहे हैं। 6. यह दलीलें गोलमोल लगती हैं क्योंकि वादी दावा करते हैं कि टाइटल सूट संख्या 75/1963 में प्रत्येक बहनों को 1/3 हिस्सा आवंटित किया गया था, हालांकि उन्होंने कहीं भी सीएस प्लॉट संख्या 11 को राज किशोरी देवी द्वारा बेचे जाने और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों के हितों की रक्षा करने का उल्लेख नहीं किया है। टाइटल सूट संख्या 44/2002 में किए गए ऐसे आवंटन को कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, बिना किसी परिणामी राहत के केवल सूट की जमीन पर अधिकार, शीर्षक और हित की घोषणात्मक राहत की मांग करना वादी के उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा जैसा कि पहले ही देखा गया है कि कब्जे की पुष्टि की मांग करते हुए इसे दायर नहीं किया गया था,

हालांकि दावा किया गया है कि प्रतिवादी कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे थे और सूट की संपत्ति पर अधिकार, शीर्षक और कब्जे का दावा कर रहे थे 6 कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने में सक्षम रही है, जो उनके विक्रेताओं के माध्यम से दावा की गई संपत्ति में उनकी रुचि दिखा रहे हैं, मेरे विचार से, वह अपने पक्ष में मुकदमा चलाने में सक्षम रही है।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुमतिबाई बनाम पारस फाइनेंस कंपनी रजि. पार्टनरशिप फर्म बेवर (राज.)** के मामले में, जिसे **(2007) 10 एससीसी 82** में रिपोर्ट किया है कि वाद की संपत्ति में हित की झलक रखने वाले पक्ष को वाद में पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकता है और वर्तमान मामले में, यह हित की झलक से अधिक है। यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 के विक्रेता को प्रतिवादी बनाया है और यदि प्रतिवादी संख्या 6 वाद की स्थापना से पहले एक क्रेता है, तो प्रतिवादी संख्या 6 के विक्रेता का अधिकार, शीर्षक और हित वाद की स्थापना की तारीख को उसके पास स्थानांतरित हो जाता है और वह एक आवश्यक पक्ष बन जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 6 ने वाद की संपत्ति पर अपना कब्जा दिखाने वाले दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर लाए हैं और इस तरह, अभियोग के लिए अपने दावे को मजबूत किया है। इस प्रकार, मेरा यह मत है कि प्रतिवादी संख्या 6 अपने पक्ष में अभियोग लगाने के लिए मामला बनाने में सक्षम है और उसका अभियोग लगाना न्यायसंगत और उचित प्रतीत होता है।

13. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की है और ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि नहीं है जिससे कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके और इसलिए, टाइटल सूट संख्या 136/2017 में विद्वान सब जज-XII, पटना द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 06.05.2019 की पुष्टि की जाती है।

14. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

15. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ पहले की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान याचिका के निपटान के उद्देश्य से हैं और इससे पक्षों के दावों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के. पांडे/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।